न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरणसर

बअदालत – संजीव कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व वाद संख्या – 2023/03

1.बसन्ती } पि0 पृथ्वीराज जाति मेघवाल निवासी झण्डावाली

2. मांगीलाल } हाल निवासी वार्ड 6 नाथवाना तह. लूनकरनसर

– वादीगण

बनाम

9. गीता पत्नी स्व. पृथ्वीराज
10. पूर्णाराम
11. बुधाराम
12. महावीर
13. राजाराम

} पि0 चिमनाराम } जाति मेघवाल निवासी झण्डावाली हाल वार्ड 6 नाथवाना तह.लूनकरनसर

14. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) लूनकरणसर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरूस्ती
दावा अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट एवं धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित –

1. श्री लालचन्द जाट वकील वादीगण
2. श्री नेतराम सियाग प्रतिवादीगण 1 ता 5 की ओर से
3. पैरोकार राज

–:निर्णय:–

दिनांक :– 07.08.2023

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने दावा अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट एवं 136 एल आर एक्ट पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण के नाम संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा रोही चक 8 एलकेडी तहसील लूनकरनसर के मु0नं0 109/35 के कि0नं0 19,20,21/2,22/2 तादादी 0.9610 हैक्टेयर, मु0नं0 109/36 कि0नं0 1,2,9,10,11 तादादी 1.2645 हैक्टेयर कुल तादादी 2.2225 हैक्टेयर अनकमांड मु0नं0 109/27 के कि0नं0 22/2, 23ता25 तादादी 0.8852 हैक्टेयर कमांड/अनकमांड मु0नं0 109/28 के कि0नं0 2/2, 3ता9, 12/2, 13ता15, 19 , 20/1 तादादी 3.2245 हैक्टेयर कमांड/अनकमांड कुल तादादी 4.1097 हैक्टेयर भूमि दर्ज रिकार्ड है। जो वादीगण को अपने पिता पृथ्वीराज के देहान्त के बाद विरास्तन इन्तकाल से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुवा है। विरास्तन ईन्तकाल दर्ज करते समय वादीगण का नाम बसन्ती की जगह बसकरी व मांगीलाल की जगह मंगतुराम सहबन से दर्ज हुए है। जो महज लिपिकीय भूलवंश दर्ज हुआ है जिसे दुरूस्त करवाने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत घोषणात्मक वाद एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती हेतु निवेदन किया। वाद दर्ज रजिस्टर कर स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व लूनकरणसर को समन जारी किये गए। वादगत भूमि का विरास्तन ईन्तकाल दर्ज करते समय सहबन से वादीगण का नाम बसन्ती की जगह बसकरी व मांगीलाल की जगह मंगतुराम लिख दिया गया जबकी वादीगण के वास्तविक नाम बसन्ती एवं मांगीलाल

है। जिसके साक्ष्य मे दस्तावेज शपथ पत्र, आधार कार्ड, विद्यालय मार्कशीट प्रति, ग्राम पंचायत नाथवाना का प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश किए है। पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व लूनकरणसर ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड का अवलोकन उपरान्त वांछित दुरूस्ती की घोषणा किये जाने की अनुशंषा की। वकील वादीगण ने अपनी बहस में दावा मीमो के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादगत भूमि मे वादीगण का नाम सहवन से बसकरी एवं मंगतूराम लिख दिया गया जो दुरूस्ती योग्य है क्योंकि वादीगण का सही नाम बसन्ती एवं मांगीलाल है। जिसकी ताईद वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो से होती है। इसलिए वादीगण का वाद स्वीकार कर उपरोक्त वादगत भूमि चक 8 एलकेडी तहसील लूनकरनसर के मु0नं0 109/35 के कि0नं0 19,20,21/2,22/2 तादादी 0.9610 हैक्टेयर, मु0नं0 109/36 कि0नं0 1,2,9,10,11 तादादी 1.2645 हैक्टेयर कुल तादादी 2.2225 हैक्टेयर अनकमांड मु0नं0 109/27 के कि0नं0 22/2, 23ता25 तादादी 0.8852 हैक्टेयर कमांड/अनकमांड मु0नं0 109/28 के कि0नं0 2/2, 3ता9, 12/2, 13ता15, 19 , 20/1 तादादी 3. 2245 हैक्टेयर कमांड/अनकमांड कुल तादादी 4.1097 हैक्टेयर भूमि मे वादीगण का नाम बसकरी की जगह बसन्ती एवं मंगतुराम की जगह मांगीलाल दुरूस्त करने डिक्री प्रदान करे।

हमने उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध सरपंच ग्राम पंचायत नाथवाना की तस्दीक, शपथ पत्र , आधार कार्ड, मार्कशीट आदि के आधार पर स्पष्ट होता है कि वादीगण का सही नाम बसन्ती एवं मांगीलाल है। जिसकी पुष्टि उपरोक्त दस्तावेजो से होती है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि वादगत भूमि रोही मौजा रोही चक 8 एलकेडी तहसील लूनकरनसर के मु0नं0 109/35 के कि0नं0 19,20,21/2,22/2 तादादी 0.9610 हैक्टेयर, मु0नं0 109/36 कि0नं0 1,2,9,10,11 तादादी 1.2645 हैक्टेयर कुल तादादी 2.2225 हैक्टेयर अनकमांड मु0नं0 109/27 के कि0नं0 22/2, 23ता25 तादादी 0. 8852 हैक्टेयर कमांड/अनकमांड मु0नं0 109/28 के कि0नं0 2/2, 3ता9, 12/2, 13ता15, 19 , 20/1 तादादी 3.2245 हैक्टेयर कमांड/अनकमांड कुल तादादी 4.1097 हैक्टेयर भूमि मे वादीगण का नाम बसकरी की जगह बसन्ती एवं मंगतुराम की जगह मांगीलाल दुरूस्त करने की घोषणा की जाती है। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार लूनकरणसर को पालनार्थ भिजवाई जावे। अतः उक्त दुरूस्ती का अंकन किया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 07.08.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर जलसाआम में सुनाया गया।

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरणसर

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर

ब इजलास : संजीव कुमार आरएएस

बसन्ती वगै बनाम गीतादेवी वगै

दावा अंतर्गत धारा 88 आरटीए, धारा 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर :
03/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी **वादी,** मिनजानिब मुदई **पैरोकारराज राज्य की ओर से** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि मौजा रोही चक **6** एलकेडी तहसील लूनकरनसर के मु0नं0 109/35 के कि0नं0 19,20,21/2,22/2 तादादी 0.9610 हैक्टेयर, मु0नं0 109/36 कि0नं0 1,2,9,10,11 तादादी 1.2645 हैक्टेयर कुल तादादी 2.2225 हैक्टेयर अनकमांड मु0नं0 109/27 के कि0नं0 22/2, 23ता25 तादादी 0.8852 हैक्टेयर कमांड/अनकमांड मु0नं0 109/28 के कि0नं0 2/2, 3ता9, 12/2, 13ता15, 19 , 20/1 तादादी 3.2245 हैक्टेयर कमांड/अनकमांड कुल तादादी 4.1097 हैक्टेयर भूमि मे वादीगण का नाम बसकरी की जगह बसन्ती एवं मंगतुराम की जगह मांगीलाल दुरूस्त करने की घोषणा की जाती है।

नीज ....- ....मुबलिक ....- ....बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... -............................ फीस सदी सालाना आज की तारीख से वसूल याबो तक ....-......................... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से मजमाआम में आज दिनांक 07.08.2023 को न्यायालय हाजा में डिक्री जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर